FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from theParliamentary constituency in(State/Union territory).								
		Legislative (185) ssembly				STHAN	(State/Unionterritor	y) from
*Election to constituency.		Metropolitan	Council	of	Delhi	from	Metropolitan	Council

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

MRS. CHANDRAKANTA MEGHWAL (Name) 3 P 55 VIGYAN NAGAR KOTA (RAJ.) (Address) sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place-BUNDI

Date- 11.12.2018

चिमन लाल मीणा

Signature रिटर्निंग ऑफिका (SBM) केशोरायपाटन (185)

Returning Officer

^{*}Score out, if inappropriate.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
(राज्य / संघ राज्यक्षेत्र) के
संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।
* केशोरायपाटन (185) विधानसभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।
*महानगर परिषद् निर्वाचन—क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66
में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —
श्री/श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (नाम) 3 प 55 विज्ञान नगर कोटा (राज.) (पता) 1[जो भारतीय जनता
पार्टी (मान्यताप्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई।]
उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई है।

स्थान :- बून्दी तारीख :- 11.12.2018 चिमन लाल मीणा
हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर
(SDM) केशोर युपाटन (185)
रिटर्निंग आफिसर

*जो समुचित न हो ज़से काट दीजिए।

¹ अधिसूचना सं० का० आ० ५६५(अ), तारीख ४ अगस्त, १९८४ द्वारा अंतःस्थापित।